दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 4312/2014

नुज़ीवीडू सीड्स प्राइवेट लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री चेतन लोकुर, श्री के. वी. गिरीश चौधरी, श्री डी. सत्य साई सुमंत और श्री वैभव कौल, अधिवक्तागण।

बनाम

पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण एवं अन्य

....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री गौरव रोहिल्ला, श्री राज गणेश, श्री अरुण कुमार, सुश्री शाहीन परवीन और सुश्री योजना चौधरी प्रत्यर्थी-1 प्रत्यर्थी -2 के लिए अधिवक्तागण।

श्री आर. पार्थसारथी, सुश्री विंध्य एस. मणि, सुश्री सुरभि नौटियाल, श्री देवेश असवाल और श्री भुवन मल्होत्रा, प्रत्यर्थी-3 के लिए अधिवक्तागण।

श्री रिपु दमन भारद्वाज सी. जी. एस. सी. यू. ओ. आई. के साथ भा.रा.सं. के लिए जी. पी. श्री अभिनव भारद्वाज

रि.या.(सि.)-आई.पी.डी. 8/2022

नुज़ीवीडू सीड्स लिमिटेड सर्वेक्षण सं. 69, गुंडला
पोचमपल्ली (गाँव और पंचायत)
मेडचल मंडल, रंगा रेड्डी जिला, सिकंदराबाद ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री चेतन लोकुर, श्री के. वी. गिरीश चौधरी, श्री डी. सत्य साई सुमंत और श्री वैभव कौल, अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ सचिव, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री गौरव रोहिल्ला, श्री राज गणेश, श्री अरुण कुमार, सुश्री शाहीन परवीन और सुश्री योजना चौधरी, प्रत्यर्थी-1 के लिए अधिवक्तागण।

श्री आर. पार्थसारथी, सुश्री विंध्य एस. मणि, सुश्री सुरभि नौटियाल, श्री देवेश असवाल और श्री भुवन मल्होत्रा, प्रत्यर्थी -3 के लिए अधिवक्तागण।

श्री रिपु दमन भारद्वाज सी. जी. एस. सी. के साथ श्री अभिनव भारद्वाज, भा.रा.सं. के लिए अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)-आई.पी.डी. 10/2022

एन.एस.एल. सीड्स प्रा. लिमिटेड एन.एस.एल. आइकॉन चौथी मंजिल, नं. 8-2-684/2 एक सड़क संख्या 12, बंजारा हिल्स, हाइ.

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री चेतन लोकुर, श्री के. वी. गिरीश चौधरी, श्री डी. सत्य साई सुमंत और श्री वैभव कौल, अधिवक्ता।

बनाम

पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण रजिस्ट्रार, एन. ए. एस. सी. कॉम्प्लेक्स, ओ. पी. पी. द्वारा से अधिकार प्राधिकरण गाँव टोडापुर, डी. पी. एस. मार्ग, नई दिल्ली द्वारा .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री गौरव रोहिल्ला, श्री राज गणेश, श्री अरुण कुमार, सुश्री शाहीन परवीन और सुश्री योजना चौधरी, प्रत्यर्थी-1 के लिए अधिवक्तागण।

श्री आर. पार्थसारथी, सुश्री विंध्य एस. मणि, सुश्री सुरभी नौटियाल, श्री देवेश असवाल और श्री भुवन मल्होत्रा, आर-3 के लिए अधिवक्तागण।

श्री रिपु दमन भारद्वाज सी. जी. एस. सी. के साथ श्री अभिनव भारद्वाज, भा.रा.सं. के लिए अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)-आई. पी. डी. 9/2022

नुज़ीवीडू सीड्स प्रा. लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री चेतन लोकुर, श्री के. वी. गिरीश चौधरी, श्री डी. सत्य साई सुमंत और श्री वैभव कौल, अधिवक्तागण।

पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण और अन्य

....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री गौरव रोहिल्ला, श्री राज गणेश, श्री अरुण कुमार, सुश्री शाहीन परवीन और सुश्री योजना चौधरी, आर-1 के लिए अधिवक्तागण।

श्री आर. पार्थसारथी, सुश्री विंध्य एस. मणि, सुश्री सुरभी नौटियाल, श्री देवेश असवाल और श्री भुवन मल्होत्रा, अधिवक्ता। आर-3 के लिए

श्री रिपू दमन भारद्वाज सी. जी. एस. सी. के साथ श्री अभिनव भारद्वाज, भा.रा.सं. के लिए अधिवक्ता।

रि.या.(सि.)-आई. पी. डी. 4/2023

नुज़ीवीडू सीड्स प्रा. लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री चेतन लोकुर, श्री के. वी. गिरीश चौधरी, श्री डी. सत्य साई सुमंत और श्री वैभव कौल, अधिवक्तागण।

बनाम

पादप किस्म एवं कृषक अधिकार सुरक्षा प्राधिकरण और अन्य

....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री गौरव रोहिल्ला, श्री राज गणेश, श्री अरुण कुमार, सुश्री शाहीन परवीन और सुश्री योजना चौधरी, प्रत्यर्थी -1 के लिए अधिवक्तागण।

श्री रिपु दमन भारद्वाज सी. जी. एस. सी. के साथ श्री अभिनव भारद्वाज, भा.रा.सं. के लिए अधिवक्ता।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

30.11.2023

<u>रि.या.(सि.) 4312/2014, रि. या. (सि)-बौ.सं.अनु 8/2022, रि. या. (सि)-बौ.सं.अनु 10/2022, रि. या. (सि)- बौ.सं.अनु 9/2022 और रि. या.(सि)-बौ.सं.अनु 4/2023</u>

1. इन सभी पाँच रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दा काफी हद तक समान है, हालांकि उन्हें कार्यवाही के विभिन्न चरणों में दायर किया गया है। वे सभी विभिन्न आवेदकों द्वारा दायर आवेदनों से संबंधित हैं जो पौधों की नई किस्मों के पंजीकरण की मांग करते हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि वे पादप किस्म

एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (इसके बाद "पीपीवी अधिनियम") के तहत विकसित किए गए हैं।

2. पी.पी.वी. अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष विवाद की पृष्ठभूमि में पुनरुत्पादन के योग्य हैं:

> **"14. पंजीकरण के लिए आवेदन**- खंड 16 में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति किसी भी किस्म के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है -
>
> (क) धारा 29 की उप-धारा(2) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसी वंशावली और प्रजातियाँ; या
>
> (ख) जो एक मौजूदा किस्म है; या
>
> (ग) जो किसानों की एक किस्म है।
>
> **15. पंजीकरण योग्य किस्में-**
>
> (1) एक नई किस्म इस अधिनियम के तहत पंजीकृत की जाएगी यदि यह नवीनता, विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता के मानदंडों के अनुरूप है।
>
> (2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत एक मौजूदा किस्म को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर पंजीकृत किया जाएगा यदि यह विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता के ऐसे मानदंडों के अनुरूप है जो विनियमों के तहत निर्दिष्ट किए जाएंगे।
>
> (3) यथास्थिति, उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए, चाहे जैसा भी मामला हो एक नई किस्म को माना जाएगा -
>
> (क) नया, यदि संरक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख को, ऐसी किस्म की प्रसार या कटाई की गई सामग्री को या रि.या.(सि.)द्वारा बेचा या अन्यथा

निपटाया नहीं गया है। ऐसी किस्म के दोहन के प्रयोजनों के लिए अपने प्रजनक या उसके उत्तराधिकारी की सहमति से -

(i) भारत में, एक वर्ष से पहले; या

(ii) भारत के बाहर, पेड़ों या बेलों के मामले में छह वर्ष से पहले, या किसी अन्य मामले में, चार वर्ष से पहले,

इस तरह का आवेदन दाखिल करने की तारीख से पहले:

बशर्ते कि एक नई किस्म का परीक्षण जिसे बेचा या अन्यथा निपटाया नहीं गया है, संरक्षण के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगाः

बशर्ते कि यह तथ्य कि पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख को, ऐसी किस्म की प्रसार या कटाई की गई सामग्री उपरोक्त तरीके के अलावा सामान्य ज्ञान द्वारा विषय बन गई है, ऐसी किस्म के लिए नवीनता के मानदंडों को प्रभावित नहीं करेगी;

(ख) विशिष्टत:, यदि यह स्पष्ट रूप से किसी अन्य किस्म से कम से कम एक आवश्यक विशेषता से अलग है जिसका अस्तित्व आवेदन दाखिल करने के समय किसी भी देश में सामान्य ज्ञान का विषय है।

स्पष्टीकरण - संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि प्रजनक को किसी नई किस्म का अधिकार देने या किसी भी पारंपरिक देश में किस्मों के आधिकारिक रजिस्टर में ऐसी किस्म दर्ज करने के लिए आवेदन दायर करने से आवेदन की तारीख से उस किस्म को सामान्य ज्ञान का विषय माना जाएगा, यदि आवेदन से प्रजनक का अधिकार दिया जाता है या ऐसी आधिकारिक रजिस्टर में ऐसी किस्म की प्रविष्टि होती है, जैसा भी मामला हो।

(ग) समान, यदि इसके प्रसार की विशेष विशेषताओं से अपेक्षित भिन्नता के अधीन यह अपनी आवश्यक विशेषताओं में पर्याप्त रूप से समान है;

(घ) स्थिर, यदि इसके आवश्यक लक्षण बार-बार प्रसार के बाद या प्रसार के किसी विशेष चक्र के मामले में, प्रत्येक ऐसे चक्र के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं।

(4) एक नई किस्म इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं की जाएगी यदि ऐसी किस्म को दिया गया नाम-

(i) ऐसी किस्म की पहचान करने में सक्षम नहीं है; या

(ii) इसमें केवल आंकड़े शामिल हैं; या

(iii) ऐसी किस्म की विशेषताओं, मूल्य पहचान या ऐसी किस्म के प्रजनक की पहचान के बारे में गुमराह करने या भ्रम पैदा करने के लिए उत्तरदायी है; या

(iv) प्रत्येक संप्रदाय से अलग नहीं है जो एक ही वनस्पति प्रजाति की किस्म को नामित करता है या इस अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निकट संबंधित प्रजाति की है; या

(v) ऐसी किस्म की पहचान के बारे में जनता को धोखा देने या जनता में भ्रम पैदा करने की संभावना है; या

(vi) भारत के नागरिकों के किसी वर्ग या अनुभाग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना है; या

(vii) (प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग से संरक्षण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) की धारा 3 में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए नाम या प्रतीक के रूप में उपयोग करने के लिए निषिद्ध है; या

(viii) पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से भौगोलिक नाम से मिलकर बना हैः

परन्तु रजिस्ट्रार किसी किस्म को रजिस्टर कर सकता है, जिसका नाम पूर्णतः या भागतः भौगोलिक नाम से बना है, यदि वह समझता है कि ऐसी किस्म के संबंध में ऐसे नाम का उपयोग मामले की परिस्थितियों के अन्तर्गत ईमानदारी से किया गया उपयोग है।

*****

18. आवेदन का प्रारूप-

(1) धारा 14 के तहत पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-

(क) किस्म के संबंध में हो;

(ख) आवेदक द्वारा ऐसी किस्म को दिए गए नाम का उल्लेख करें;

(ग) आवेदक द्वारा शपथ लिए गए एक शपथ पत्र के साथ होना चाहिए कि इस तरह की किस्म में टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी से जुड़ा कोई जीन या जीन अनुक्रम नहीं है;

(घ) ऐसे रूप में हो जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए;

(ई) पैतृक प्रजातियाँ का पूरा पासपोर्ट डाटा जिसमें से किस्म व्युत्पन्न है के साथ भारत में भौगोलिक स्थितिजहाँ से आनुवंशिक सामग्री ली गई है और किस्म के प्रजनन, विकास में किसी भी किसान, ग्रामीण समुदाय, संस्थान या संगठन का योगदान से संबंधित ऐसी सभी जानकारी, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए

(च) पंजीकरण के लिए आवश्यक नवीनता, विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता की विशेषताओं को सामने लाने वाली किस्म का संक्षिप्त वर्णन एक विवरण के साथ होना चाहिए;

(छ) ऐसे शुल्क के साथ होना चाहिए जो निर्धारित किए जाएं;

(ज) एक घोषणा शामिल है कि प्रजनन, विकास या किस्म के विकास के लिए अधिग्रहित आनुवंशिक सामग्री या पैतृक प्रजाति कानूनी रूप से अर्जित की गई है; और

(i) ऐसे अन्य विवरणों के साथ होना चाहिए जो निर्धारित किए जाएं:

बशर्ते कि जहां आवेदन किसानों की किस्म के पंजीकरण के लिए है, वहां खंड (ख) से (i) में निहित कुछ भी आवेदन के संबंध में लागू नहीं होगा और आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल किया जाएगा।

(3) जहां ऐसा आवेदन अनुक्रम या पंजीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार के आधार पर किया जाता है, वहां आवेदन करते समय या आवेदन करने के बाद ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करने के अधिकार का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।

19. परीक्षण किया जाना है–

(1) प्रत्येक आवेदक, इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ, रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए एक किस्म के बीज की ऐसी मात्रा उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए ऐसा आवेदन किया गया है, यह मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण आयोजित करने के उद्देश्य कि क्या ऐसी किस्म का बीज पैतृक प्रजाति के साथ मानकों के अनुरूप है जैसा कि नियमों द्वारा निर्दिष्ट है|

बशर्ते कि रजिस्ट्रार या कोई व्यक्ति या परीक्षण केंद्र जिसे ऐसा बीज परीक्षण करने के लिए भेजा गया है, वह ऐसे बीज को अपने कब्जे के

दौरान इस तरह से और इस शर्त पर रखेगा कि इसकी व्यवहार्यता और गुणवत्ता अपरिवर्तित रहे।

(2) आवेदक परीक्षा आयोजित करने के लिए वह निर्दिष्ट शुल्क जमा करेगा जो उप-धारा (1) में संदर्भित है ।

(3) उप-धारा (1) में संदर्भित परीक्षण का संचालन ऐसी रीति और पद्धति से किया जाएगा जो निर्धारित किया जाएगा ।

20. आवेदन या उसके संशोधन की स्वीकृति–

(1) धारा 14 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, ऐसे आवेदन में निहित विवरणों के संबंध में ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझता है, आवेदन को पूरी तरह से या ऐसी शर्तों या सीमाओं के अधीन प्रतिग्रहण कर सकता है जैसा वह उचित समझे |

(2) जहां रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि आवेदन इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, तो वह या तो-

(क) आवेदक से अपनी संतुष्टि के लिए आवेदन में संशोधन करने की अपेक्षा करता है; या

(ख) आवेदन को अस्वीकार करनाः

बशर्ते कि कोई भी आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

21. आवेदन का विज्ञापन–

(1) जहां आवेदन को धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत किसी किस्म के पंजीकरण के लिए आत्यन्तिक रूप से या शर्तों या सीमाओं के अधीन स्वीकार कर लिया गया है, तो रजिस्ट्रार, इसकी स्वीकृति के तुरंत बाद, ऐसे आवेदन को उन शर्तों या सीमाओं के साथ, यदि कोई

हो, जिसके अधीन इसे स्वीकार किया गया है और उस किस्म के तस्वीरें या चित्र सहित विनिर्देशों का जिसके पंजीकरण के लिए ऐसा आवेदन किया गया है निर्धारित तरीके से विज्ञापन दिया जाएगा और मामले में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर पंजीकरण के लिए आवेदन के विज्ञापन की तारीख से तीन महीने के भीतर, पंजीकरण के अपने विरोध के बारे में रजिस्ट्रार को निर्धारित तरीके से लिखित रूप में नोटिस दे सकता है।

(3) उप-धारा (2) के तहत पंजीकरण का विरोध निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किया जा सकता है, अर्थात्:–

(क) कि आवेदन का विरोध करने वाला व्यक्ति आवेदक के बजाय प्रजनक के अधिकार का हकदार है; या

(ख) कि यह किस्म इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है; या

(ग) कि पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुमति लोक हित में नहीं हो सकता है; या

(घ) कि इस किस्म का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(4) रजिस्ट्रार पंजीकरण के लिए आवेदक को विरोध के नोटिस की एक प्रति देगा और आवेदक द्वारा विरोध के नोटिस की ऐसी प्रति दो महीने के भीतर प्राप्त होने पर, आवेदक निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार को उन आधारों का एक जवाबी कथन भेजेगा जिन पर वह अपने आवेदन के लिए निर्भर है, और यदि वह ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि उसने अपना आवेदन छोड़ दिया है।

(5) यदि आवेदक इस तरह का जवाबी कथन भेजता है, तो रजिस्ट्रार विरोध का नोटिस देने वाले व्यक्ति को इसकी एक प्रति देगा।

(6) कोई भी साक्ष्य जिस पर प्रतिद्वंद्वी और आवेदक भरोसा कर सकते हैं, निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय के भीतर, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा और यदि वांछित हो तो रजिस्ट्रार उन्हें सुनवाई का अवसर देगा।

(7) रजिस्ट्रार पक्षकारों को सुनने के बाद, यदि आवश्यक हो, और साक्ष्य पर विचार करने के बाद, यह तय करेगा कि क्या और किन शर्तों या सीमाओं के अधीन, यदि कोई हो, पंजीकरण की अनुमति दी जानी है और आपत्ति के आधार को ध्यान में रखा जा सकता है चाहे वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा भरोसा किया गया हो या नहीं।

(8) जहाँ विरोध की सूचना देने वाला व्यक्ति या ऐसी सूचना की प्रति प्राप्त होने के बाद प्रति-कथन भेजने वाला आवेदक न तो भारत में रहता है और न ही व्यवसाय करता है, तो रजिस्ट्रार उससे अपने समक्ष कार्यवाही की लागत के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसी प्रतिभूति के विधिवत दिए जाने की चूक में विपक्ष या आवेदन को, जैसा भी मामला हो, परित्यक्त माना जा सकता है।

(9) रजिस्ट्रार, अनुरोध पर, विरोध की सूचना या प्रति-कथन में किसी भी त्रुटि में सुधार या किसी संशोधन की अनुमति दे सकता है, ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे।

22. विरोध के आधारों पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रार - रजिस्ट्रार उन सभी आधारों पर विचार करेगा जिन पर आवेदन का विरोध किया गया है और अपने निर्णय के कारण देने के बाद, आदेश द्वारा, विपक्ष को बनाए रखेगा या अस्वीकार करेगा।

*****

24. पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना-

(1) जब किसी किस्म (अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के अलावा) के पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो और -

(क) आवेदन का विरोध नहीं किया गया है और विरोध के नोटिस का समय समाप्त हो गया है; या

(ख) आवेदन का विरोध किया गया है और विपक्ष को खारिज कर दिया गया है, रजिस्ट्रार किस्म को पंजीकृत करेगा।"

3. इसके अतिरिक्त, पी. पी. वी. अधिनियम की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पादप किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण नियम, 2003 (पी. पी. वी. नियम) के निर्मित नियम 29 से 32 भी प्रासंगिक हैं:

"29. धारा के तहत परीक्षण आयोजित करने का तरीका और विधि

19. -

(1)(क) प्राधिकरण प्रत्येक किस्म पर डी. यू. एस. परीक्षण और विशेष परीक्षण आयोजित करने के लिए अलग-अलग शुल्क लेगा।

(ख) विशेष परीक्षण केवल तभी आयोजित किए जाएंगे जब डी. यू. एस. परीक्षण विशिष्टता की आवश्यकता को स्थापित करने में विफल रहता है।

(ग) डी. यू. एस. परीक्षण कम से कम दो फसल मौसमों के लिए क्षेत्र और बहु-स्थान आधारित होगा और विशेष परीक्षण प्रयोगशाला आधारित होंगे।

(घ) डीयूएस और विशेष परीक्षणों के लिए शुल्क वैसा ही होगा जैसा इस उद्देश्य के लिए दूसरी अनुसूची के कॉलम (3) में दिया गया है।

(2) यदि रजिस्ट्रार, पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद, संतुष्ट है कि आवेदन क्रम में है, तो वह आवेदक को डी. यू. एस. परीक्षा आयोजित आदेश के लिए दो महीने की अवधि के भीतर, दूसरी अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट आवश्यक शुल्क जमा आदेश के लिए सूचित करेगा।

(3) उप-नियम (1) के तहत मांगे गए शुल्क की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन पर विचार करेगा।

(4) अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म को छोड़कर सभी नई किस्मों के लिए डी. यू. एस. परीक्षण आवश्यक होगा।

(5) अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों के परीक्षण का तरीका प्राधिकरण द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर तय किया जाएगा।

(6) डी. यू. एस. परीक्षा कम से कम दो स्थानों पर आयोजित की जाएगी।

(7) प्राधिकरण ऐसे परीक्षणों के संचालन के लिए देश में डी. यू. एस. या विशेष परीक्षण आयोजित करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाले संस्थानों को मान्यता दे सकता है और उन्हें सूचीबद्ध कर सकता है।

(8) प्राधिकरण डी. यू. एस. और विशेष परीक्षणों के संचालन के लिए अपनाए गए तरीकों को अधिसूचित करेगा।

(9) प्राधिकरण प्रत्येक फसल के लिए डी. यू. एस. परीक्षण के लिए अपने दिशानिर्देशों को विकसित और प्रकाशित करेगा।

(10) बीजों या अंकुरों के नमूने जिनके संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है और पंजीकृत पैतृक प्रजाति डी. यू. एस. और विशेष परीक्षणों के लिए प्रस्तुत किए गए और राष्ट्रीय जीन बैंक में जमा किए गए सामान्य शुद्धता, और एकरूपता और अंकुरण, स्वच्छता और पादप स्वच्छता के बनाए रखने योग्य मानकों को प्रस्तुत करेंगे।

30. धारा के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन का विज्ञापन

21. -

(1) एक किस्म के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन जिसे स्वीकार कर लिया गया है और विनिर्देशों सहित उसके विवरण, धारा 20 की

उप-धारा (1) के तहत ऐसी स्वीकृति पर, तीसरी अनुसूची के प्रपत्र 1 में निर्दिष्ट तरीके से रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञापित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के तहत ऐसे प्रत्येक विज्ञापन में, रजिस्ट्रार उस स्थान या स्थानों का उल्लेख करेगा जहां किस्म के नमूने का निरीक्षण किया जा सकता है।

(3) इस तरह के विज्ञापन की सामग्री में शामिल होंगे-

(ए) नाम, पासपोर्ट डेटा और पैतृक प्रजाति या प्रारंभिक किस्म का स्रोत जिसका उपयोग उस किस्म को विकसित करने के लिए किया जाता है जिसके संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है।

(ख) डी. यू. एस. परीक्षण अनुसूची के तहत निर्दिष्ट अपने चरित्र प्रोफ़ाइल को सामने लाने वाली किस्म का विवरण;

(ग) किस्म को विशिष्टता प्रदान करने वाली आवश्यक विशेषताएं;

(घ) विभिन्नता की महत्वपूर्ण कृषि संबंधी और वाणिज्यिक विशेषताएँ;

(ई) आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई किस्म की तस्वीरें या चित्र, यदि कोई हों; और

(च) किस्म पर दावा, यदि कोई हो।

31. धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत विरोध की सूचना।

-

(1) कोई भी इच्छुक व्यक्ति, पंजीकरण के लिए आवेदन के विज्ञापन की तारीख से तीन महीने के भीतर, पहली अनुसूची के फॉर्म पी. वी.-3 में पौधे की किस्म के पंजीकरण के विरोध की सूचना दे सकता है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विरोध दायर करने के लिए देय शुल्क दूसरी अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट किया जाएगाः

बशर्ते कि किसी किसान या किसानों के समूह या ग्राम समुदाय द्वारा किए गए विरोध के संबंध में ऐसा कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(3) एक विशिष्ट आवेदन के खिलाफ प्राप्त विपक्ष के नोटिस की प्रत्येक प्रति को विरोध दर्ज करने की अंतिम तिथि से तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक को भेजा जाएगा।

(4) एक आवेदक विपक्ष के नोटिस की प्रति की सेवा की तारीख से दो महीने के भीतर विपक्ष को बिंदु-वार जवाबी बयान प्रस्तुत करने का हकदार होगा, जिसमें विफल रहने पर रजिस्ट्रार विपक्ष के गुण-दोष का निर्णय करेगा और इसके लिए कारण बताकर अपने निर्णय को सूचित करेगा।

(5) उप-नियम (4) के तहत प्रत्येक प्रति-कथन पहली अनुसूची के फॉर्म पी. वी.-4 में होगा।

(6) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विरोध के जवाब की प्रतियां, आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर, आवेदन का विरोध करने वाले व्यक्ति को भेज दी जाएंगी, जिसमें विरोधी व्यक्ति को आवेदक से काउंटर की सेवा की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अंतिम विरोध प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(7) रजिस्ट्रार, अपने विवेक पर, विपक्ष के नोटिस या जवाबी बयान में त्रुटि के किसी भी सुधार या संशोधन की अनुमति दे सकता है यदि संबंधित व्यक्तियों द्वारा लिखित रूप में इस तरह के परिवर्तन का अनुरोध किया जाता है।

(8)(क) धारा 21 की उप-धारा (8) में संदर्भित प्रतिभूति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि के रूप में देय होगी।

(ख) यदि विपक्ष तुच्छ पाया जाता है, तो रजिस्ट्रार प्राप्त प्रतिभूति राशि में से आवेदक को अपने द्वारा निर्धारित लागत का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है और प्रतिभूति राशि की शेष राशि प्राधिकरण में जमा की जाएगी।

(ग) यदि विपक्ष सफल होता है, तो प्रतिभूति राशि विपक्षी दल को वापस कर दी जाएगी।

32. समय सारणी का अनुपालन- इन नियमों के तहत विज्ञापन, विरोध, बचाव, सुनवाई और विनिर्देशों के संशोधन के लिए प्रदान की गई समय सारणी को बढ़ाया नहीं जाएगा और इन समय सारणियों के अनुपालन में विफलता प्रदान किए गए अवसर से वंचित कर देगी।"

4. ये रिट याचिकाएं विभिन्न आवेदकों द्वारा उनके द्वारा विकसित पौधों की किस्मों के पंजीकरण के लिए दायर आवेदनों से संबंधित हैं। महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "माहिको") रि.या.(सि.)4312/2014, रि.या. (सि)-आई. पी. डी. 10/2022, रि.या.(सि)-आई. पी. डी. 9/2022 और रि.या.(सि)-आई. पी. डी. 4/2023 में आवेदक था जबकि मैसर्स सुंगरो सीड्स रिसर्च लिमिटेड (इसके बाद "सुंगरो") रि.या.(सि)-आई. पी. डी. 8/2022 में आवेदन था। मैं, वैकल्पिक रूप से, सुविधा के लिए माहिको और सुंगरो को "निजी प्रत्यर्थीगण" के रूप में संदर्भित करूंगा।

5. जैसा कि पूर्वोक्त पुनरुत्पादित वैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट है, पौधे की किस्म के पंजीकरण के लिए आवेदन एक बार दायर किए जाने के बाद, स्वीकार किया और विज्ञापित होना चाहिए। विज्ञापन के बाद, वह व्यक्ति जो पौधे की किस्म के पंजीकरण का विरोध करना चाहते हैं, वे आवेदन पर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। विरोध के परिणाम के आधार पर, पौधे की किस्म या तो पंजीकरण के लिए आगे बढ़ती है, या पंजीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है।

6. <u>रि. या. (सि) 4312/2014</u>

6.1 इस स्तर पर, रि.या.(सि) 4312/2014 में प्रार्थना खंड को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा, इस प्रकार:"

> इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय "परमादेश रिट" या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करे जिसमें पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 2001 और पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण नियम, 2003 के प्रावधानों को लागू नहीं करने और अधिनियम के तहत निर्धारित विज्ञापन का उचित और विस्तृत प्रकाशन नहीं करने की और आपत्तियां आमंत्रित करने से पहले "डीयूएस" परीक्षण नहीं करने और नई किस्मों के पंजीकरण से पहले अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों के संबंध में स्पष्टता नहीं लाने के लिए और पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 2001 और पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार नियमों के संरक्षण के प्रावधानों का अवैध, मनमाना, असंवैधानिक उल्लंघन करने के लिए प्रत्यर्थीगण की कार्यवाही की घोषणा करे परिणामस्वरूप प्रत्यर्थीगण को डीयूएस परीक्षण और प्रकाशन में पूर्ण ब्यौरे विज्ञापन के संबंध में अधिनियम और नियमों में यथा विनिदष्ट विभिन्न शर्तों का अनुपालन करने का सख्ती से जोर देने का निर्देश दिया है और ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित करना जिन्हें माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।
>
> इसलिए अंतरिम में यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय प्रत्यर्थीगण को पादप किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 और पादप किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण नियम, 2003 के प्रावधानों को लागू करने और डी.यू.एस. परीक्षण करने और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करके रिट याचिका के निपटारे तक प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञापनों में पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दे और ऐसा

अन्य आदेश या आदेश पारित करे जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

6.2 श्री पार्थसारथी, इन सभी मामलों में निजी प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता इंगित करते हैं कि रि.या.(सि.) 4312/2014 में प्रार्थना सामान्य शब्दों में लिखी गई है और केवल घोषणात्मक प्रकृति की है और एम. आर. सी.-7351 पौधे की किस्म के पंजीकरण के लिए रिट याचिका के मुख्य भाग में जिस विशिष्ट आवेदन का उल्लेख पाया जाता है, वह उन आवेदनों में से एक है जिसके संबंध में रि.या.(सि)- आई. पी. डी. 10/2022 में राहत मांगी गई है। इस प्रकार, वह प्रस्तुत करता है कि रि.या.(सि.) 4312/2014 में किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चेतन लोकुर भी इस स्थिति को स्वीकार करते हैं।

6.3 जिस तरह से रि.या(सि) 4312/2014 में शिकायत के संबंध में रि.या. (सि)- आई. पी. डी 10/2022 में भी राहत मांगी गई है, रि.या(सि) 4312/2014 का निपटारा बिना कोई अलग आदेश पारित किए किया जाता है।

7. <u>रि.या.(सि.)आई. पी. डी. 10/2022 में पौधों की किस्में एम. आर. सी. 7326 बी. जी. II, एम. आर. सी. 6301 बी. टी., एम. आर. सी. 6025 बी. टी. और एम. ई. सी. एच. 12 बी. टी.</u>

7.1 आइए हम इस बात को स्पष्ट करें। रि.या. (सि)-आई. पी. डी. 10/2022 में प्रार्थना की विषय वस्तु बनने वाली पौधों की 9 किस्मों में से श्री पार्थसारथी ने प्रस्तुत किया कि पौधों की किस्में एम. आर. सी. 7326 बी. जी. II, एम.

आर. सी. 6301 बी. टी., एम. आर. सी. 6025 बी. टी. और एम. ई. सी. एच. 12 बी. टी. रिट याचिका दायर होने से पहले ही पंजीकृत थीं।

7.2 श्री लोकुर, निर्देशों पर, इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

7.3 चूंकि उक्त चार पौधों की किस्मों के संबंध में दिए गए पंजीकरण को अपास्त करने के लिए इस रिट याचिका में कोई प्रार्थना नहीं है, इसलिए यह न्यायालय उक्त पंजीकरणों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।

7.4 रि.या.(सि.)- आई. पी. डी. 10/2022 के संबंध में यहां पारित आदेश, एम. आर. सी. 7351 बी. जी. II., एम. आर. सी. 6322 बी. टी., एम. आर. सी. 7383 बी. जी. II, एम. आर. सी. 6918 बी. टी. और एम. आर. सी. 7301 बी. जी. II। पांच शेष किस्मों तक ही सीमित रहेंगे |

8. <u>जिन चरणों में कार्यवाही लंबित हैः</u>

8.1 इन रिट याचिकाओं में पौधों की किस्मों के पंजीकरण के लिए संबंधित निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर आवेदनों के संबंध में कार्यवाही अलग-अलग चरणों में है।

8.2 पी. पी. वी. अधिनियम की धारा 21(2) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा इन सभी चार रिट याचिकाओं के विषय बनने वाले आवेदनों के लिए विरोध दायर किए गए थे, हालांकि देर से।

8.3 पादप किस्म संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण के रजिस्ट्रार ("रजिस्ट्रार" इसके बाद) ने रि.या.(सि)-आई. पी. डी. 9/2022 में विरोध दर्ज करने में देरी को माफ कर दिया। विपक्ष गुणागुण पर विचार कर रहा है।

8.4 रि. या.(सि)-आई. पी. डी.10/2022 में विरोध पी. पी. वी. अधिनियम की धारा 21 (2) में परिकल्पित तीन महीने की वैधानिक अवधि के भीतर दायर किया गया था, और गुणागुण पर भी विचार लंबित है।

8.5 रि.या.(सि)- आई. पी. डी. 4/2023 और रि.या.(सि)-आई. पी. डी. 8/2022 में दायर विरोधों को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि देरी को माफ करने का कोई आधार नहीं बनाया गया था। हालांकि, श्री पार्थसारथी बताते हैं कि रि.या.(सि)- आई. पी. डी. 4/2023 में, आवेदन का पुनः विज्ञापन किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा एक नया विरोध दायर किया गया था।

9. <u>मुद्दा</u>

9.1 श्री लोकुर प्रस्तुत करते हैं कि इन मामलों में याचिकाकर्ता की प्रमुख शिकायत यह है कि पी. पी. वी. अधिनियम की खंड 19 के संदर्भ में संबंधित पौधों की किस्मों के डी. यू. एस. (विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता) परीक्षण से पहले निजी प्रत्यर्थीगण के आवेदनों का विज्ञापन नहीं किया जाना चाहिए था।

9.2 यद्यपि इनमें से कुछ मामलों में विरोध लंबित हैं, श्री लोकुर प्रस्तुत करते हैं कि, जैसा कि रजिस्ट्रार ने अपना रुख रिकॉर्ड पर रखा है, और जैसा कि निजी प्रत्यर्थीगण और रजिस्ट्रार दोनों इस विचार का समर्थन कर रहे हैं कि 1 मार्च 2012 से पहले दायर किए गए आवेदनों के संबंध में, आवेदनों के विज्ञापन से पहले डी. यू. एस. परीक्षण की कवायद आवश्यक नहीं है, यह न्यायालय उस संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है।

9.3 श्री पार्थसारथी या श्री रोहिल्ला द्वारा इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है।

9.4 इसके अलावा, ये मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर किए गए थे, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में इस न्यायालय के समक्ष समेकित किए गए हैं। विवाद में मुद्दा सीमित है और, जैसा कि बाद में उल्लेख किया जाएगा, यह अनिर्णीत नहीं है, क्योंकि न्या. विभु बाखरू, इस न्यायालय की एक विद्वान समन्वय पीठ ने अपने फैसले ***पायनियर ओवरसीज कारपोरेशन बनाम चेयरपर्सन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज राइट्स*** में इसकी गहराई से जांच की है और एक निर्णय लिया है और विवाद को इस तरीके से समाप्त किया है जो मुझे अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार्य प्रतीत होता है। न्या. बाखरू, का निर्णय आज तक अबाधित है।

10. 1 मार्च 2012 को पादप किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण") ने निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना जारी की:

" सार्वजनिक सूचना

उपः पी.पी.वी. और पी.आर. अधिनियम, 2001 की धारा 20 के तहत स्वीकृति से पहले डी.यू.एस. परीक्षण

एतद्द्वारा आवेदकों के ध्यान में लाया जाता है कि *अब से पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 19 के अनुसार,* आवेदक पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ, डी. यू. एस. परीक्षण के लिए संबंधित फसल प्रजातियों के डी. यू. एस. परीक्षण दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मात्रा में पंजीकरण के लिए आवेदन की गई किस्म के बीज जमा करेंगे। इसके बाद, *पी. पी. वी. और एफ. आर. नियम, 2003 के नियम 29 (2)* के अनुसार, यदि प्रारंभिक जांच में आवेदन सही पाया जाता है तो आवेदक को डी. यू. एस. परीक्षण शुल्क जमा आदेश के लिए सूचित किया जाएगा। उक्त शुल्क के भुगतान पर, डी. यू. एस. परीक्षण आयोजित किया जाएगा।

पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करने से पहले, पी. पी. वी. और एफ. आर. अधिनियम, 2001 की धारा 20(1) के तहत आवेदन और आवेदन के साथ डी. यू. एस. परीक्षण रिपोर्ट की जांच की जाएगी। इसके बाद, यदि आवेदन क्रम में पाया जाता है, तो इसे पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 की धारा 20 (1) के तहत स्वीकार किया जाएगा।

(मनोज श्रीवास्तव)

रजिस्ट्रार "

(जोर दिया गया)

11. यह भी विवाद में नहीं है कि 1 मार्च 2012 के बाद, पूर्व-निकाली गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार, प्राधिकरण आवेदन को स्वीकार करने या विज्ञापन देने और आपत्तियों या विरोधों के लिए बुलाने से पहले पौधों की किस्मों, जिनके संबंध में आवेदन दायर किए गए थे, का अनिवार्य डी. यू. एस. परीक्षण कर रहा था।

12. सवाल यह है कि क्या 1 मार्च 2012 से पहले दायर की गई इन रिट याचिकाओं में विचार का विषय बनाने वाले आवेदनों के संबंध में आवेदनों का विज्ञापन करने से पहले डी. यू. एस. परीक्षण अनिवार्य था। यदि, वास्तव में, श्री लोकुर ***टैलर बनाम टैलर*** सिद्धांत का आह्वान करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि जहां अधिनियम में किसी विशेष कार्य को एक विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, वह कार्य अकेले उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, तो कार्य करने के सभी वैकल्पिक तरीकों को अनिवार्य रूप से निषिद्ध किया जा रहा है, कि प्राधिकरण का पूर्व डी. यू. एस. परीक्षण के बिना याचिकाकर्ता के आवेदनों का विज्ञापन करने के लिए आगे बढ़ने का कार्य आरम्भतः ही अमान्य है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि पी. पी. वी. अधिनियम की धारा 19 द्वारा परिकल्पित संबंधित पौधों की किस्मों को डी. यू. एस. परीक्षण के अधीन करने के बाद उक्त आवेदनों को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है।

13. ***पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन*** में निर्णय:

13.1 ***पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन*** ने विवाद का समापन किया।

13.2 वर्तमान में, ***पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन*** में तथ्य उनको प्रतिबिंबित करते हैं। उस मामले में भी, पी.पी.वी. अधिनियम के तहत पौधों की किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन 2012 से पहले दायर किए गए थे। आवेदनों के विज्ञापन से पहले कोई डी. यू. एस. परीक्षण नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा इसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी क्योंकि यह पहले उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

13.3 प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के गहन अध्ययन के बाद, न्यायमूर्ति बाखरू ने इस मामले में अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया:

> "43. अधिनियम के अध्याय III की योजना से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार को ऐसे आवेदन में निहित विवरणों के संबंध में जांच करने की आवश्यकता होती है जो वह उचित समझता है और उसके बाद, या तो आवेदन को पूरी तरह से या कुछ शर्तों या सीमाओं के अधीन प्रतिग्रहण करना करता है जो वह उचित समझता है। अधिनियम की धारा 19(1) के संदर्भ में, प्रत्येक आवेदक रजिस्ट्रार को परीक्षण के उद्देश्य के लिए कुछ किस्म के बीजों की मात्रा उपलब्ध यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या ऐसी किस्म के बीज मानकों के अनुरूप हैं, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट है, *यह, स्पष्ट रूप से, निम्नलिखित है कि आवेदन प्राप्त होने पर,* रजिस्ट्रार *को अधिनियम की धारा 19 के तहत निर्दिष्ट परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता होती है।*
>
> 44. वर्तमान याचिका में उठाए गए प्रमुख विवादों में से एक यह है कि क्या अधिनियम की धारा 19 एक डी. यू. एस. परीक्षण या यह मूल्यांकन करने के लिए एक सीमित परीक्षण का उल्लेख करती है कि क्या बीज और

पैतृक प्रजाति निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है। यह पायनियर का मामला है कि अधिनियम की धारा 19 के संदर्भ में आयोजित किया जाने वाला परीक्षण एक डी. यू. एस. परीक्षण है और पंजीकरण के लिए आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा परीक्षण आयोजित नहीं किया गया हो।

45. अधिनियम की धारा 19(1) का एक साधारण अध्ययन इंगित करता है कि प्रत्येक आवेदक को परीक्षण करने के उद्देश्यों के लिए बीज की ऐसी मात्रा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है "यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या ऐसे किस्म के बीज पैतृक प्रजाति के साथ मानकों के अनुरूप हैं जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट हैं। "प्राधिकरण ने 2006 के विनियमों (पौधों की किस्मों का संरक्षण और अधिसूचित किया है। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान अधिकार विनियम, 2006 के विनियमों का विनियमन 11 प्रासंगिक है और नीचे निर्धारित किया गया है:–

> **“11. बीजों या किस्मों के मूल्यांकन के लिए मानक परीक्षण-** अधिनियम के तहत संदर्भित किस्म के मूल्यांकन के लिए आयोजित किया जाने वाला परीक्षण प्राधिकरण द्वारा पादप किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण की पत्रिका में प्रकाशित विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता परीक्षण दिशानिर्देशों के मानदंडों के अनुरूप होगा और केंद्र सरकार को पूर्व सूचना के साथ समय-समय पर संशोधित और अद्यतन किया जाएगा। धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत परीक्षणों के दौरान बीजों के मूल्यांकन के लिए मानक ऐसे होंगे जो बीज अधिनियम, 1966 के तहत अधिसूचित किए गए हों या उस प्रभाव के लिए और संशोधन किए गए हों।”

46. पूर्वोक्त से यह स्पष्ट है कि किस्म के मूल्यांकन के लिए आयोजित किए जाने वाले परीक्षण को प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या किस्म, विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता (डी. यू. एस.) के मानदंडों के

अनुरूप है। विनियमन 11 आगे निर्दिष्ट करता है कि परीक्षणों के दौरान बीजों के मूल्यांकन के लिए मानक ऐसे होंगे जो बीज अधिनियम, 1966 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

47. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क कि अधिनियम की धारा 19(1) के तहत निर्दिष्ट परीक्षण केवल इस मूल्यांकन से संबंधित हैं कि क्या बीज बीज अधिनियम, 1966 के तहत अधिसूचित मानकों के अनुरूप हैं, गलत है। अधिनियम की धारा 19(1) के तहत निर्दिष्ट परीक्षणों में यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण भी शामिल हैं कि क्या किस्म डी. यू. एस. मानदंडों के अनुरूप है। उक्त 2006 विनियमों के विनियम 11 के संदर्भ में, इस तरह के परीक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है।

48. इस स्तर पर, पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण (विशिष्टता, एकरूपता और पंजीकरण के लिए स्थिरता के लिए मानदंड) विनियम, 2009 ("2009 विनियम" इसके बाद) का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है। 2009 के विनियमों के विनियम 4 में प्रावधान है कि डी. यू. एस. मानदंड का निर्धारण दो स्थानों पर एक सत्र के लिए फील्ड टेस्ट आयोजित करके किया जाएगा। उक्त विनियम 4 नीचे दिया गया है:–

> **"4. किस्म के पंजीकरण के लिए विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता की कसौटी जिसके बारे में सामान्य जानकारी है।-**
>
> (1) एक किस्म के पंजीकरण के लिए विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता के मानदंड जिसके बारे में एक सामान्य जानकारी है, उसका निर्धारण एक मौसम के लिए दो स्थानों पर एक क्षेत्र परीक्षण आयोजित करके किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विवरणकों और भूखंड के आकार के अनुसार विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता की पुष्टि करना है, जैसा कि पत्रिका में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
>
> (2) कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, वह क्षेत्र परीक्षण

के उद्देश्य से और राष्ट्रीय जीन बैंक में भंडारण के लिए पांच समान संख्या के पैकेटों में विभाजित बीजों की आधी मात्रा जमा करेगा और बीज आपूर्ति प्रक्रियाएं ऐसी होंगी जो पत्रिका में निर्दिष्ट की जाएं।"

49. अधिनियम की खंड 19 के तहत आयोजित किए जाने वाले परीक्षण के बारे में किसी भी संदेह को 2003 के नियमों के नियम 29 के एक सामान्य पठन से शांत किया जाता है, जो नीचे दिया गया है:–

"29. धारा 19 के तहत परीक्षण आयोजित करने का तरीका और विधि-

(1)(क) प्राधिकरण प्रत्येक किस्म पर डी. यू. एस. परीक्षण और विशेष परीक्षण आयोजित करने के लिए अलग-अलग शुल्क लेगा।

(ख) विशेष परीक्षण केवल तभी आयोजित किए जाएंगे जब डी. यू. एस. परीक्षण विशिष्टता की आवश्यकता को स्थापित करने में विफल रहता है।

(ग) डी. यू. एस. परीक्षण कम से कम दो फसल मौसमों के लिए क्षेत्र और बहु-स्थान आधारित होगा और विशेष परीक्षण प्रयोगशाला आधारित होंगे।

(घ) डीयूएस और विशेष परीक्षणों के लिए शुल्क वैसा ही होगा जैसा इस उद्देश्य के लिए दूसरी अनुसूची के कॉलम (3) में दिया गया है।

(2) यदि रजिस्ट्रार, पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद, संतुष्ट है कि आवेदन क्रम में है, तो वह आवेदक को डी. यू. एस. परीक्षा आयोजित आदेश के लिए दो महीने की अवधि के भीतर, दूसरी अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट आवश्यक शुल्क जमा आदेश के लिए सूचित करेगा।

(3) उप-नियम (1) के तहत मांगी गई शुल्क की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन पर विचार करेगा।

(4) अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म को छोड़कर सभी नई किस्मों के लिए डी. यू. एस. परीक्षण आवश्यक होगा।

(5) अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों के परीक्षण का तरीका प्राधिकरण द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर तय किया जाएगा।

(6) डी. यू. एस. परीक्षा कम से कम दो स्थानों पर आयोजित की जाएगी।

(7) प्राधिकरण ऐसे परीक्षणों के संचालन के लिए देश में डी. यू. एस. या विशेष परीक्षण आयोजित करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाले संस्थानों को मान्यता दे सकता है और उन्हें सूचीबद्ध कर सकता है।

(8) प्राधिकरण डी. यू. एस. और विशेष परीक्षणों के संचालन के लिए अपनाए गए तरीकों को अधिसूचित करेगा।

(9) प्राधिकरण प्रत्येक फसल के डी. यू. एस. परीक्षण के लिए अपने पत्रिका दिशानिर्देशों को विकसित और प्रकाशित करेगा।

(10) जिन बीजों या अंकुरों के संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है और डी. यू. एस. और विशेष परीक्षणों के लिए पंजीकरण के तहत प्रस्तुत पैतृक प्रजाति के नमूने और राष्ट्रीय जीन बैंक में जमा किए गए सामान्य शुद्धता, और एकरूपता और अंकुरण, स्वच्छता और पादप स्वच्छता के बनाए रखने योग्य मानकों को प्रस्तुत करेंगे।"

50. 2003 के नियमों के नियम 29 के उप-नियम (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक जांच के बाद, यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि आवेदन क्रम

में है, तो वह आवेदक को डी. यू. एस. परीक्षा आयोजित आदेश के लिए दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक शुल्क जमा आदेश के लिए कहेगा।

51. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, *इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आवेदन प्राप्त होने पर, यदि वह आदेश में पाया जाता है, तो अगला चरण अधिनियम की धारा 19 के तहत परीक्षण करना है, जो परीक्षण यह पता लगाने के लिए है कि प्राधिकरण डी. यू. एस. मानदंडों के अनुरूप है या नहीं।*

52. *जांच किए जाने वाला अगला सवाल यह है कि क्या अधिनियम की धारा 20 के तहत विचार किए गए आवेदन की स्वीकृति से पहले डी. यू. एस. परीक्षण आयोजित किया जाना है।*

53. यह पायनियर का मामला है कि एक आवेदन केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब डी.यू.एस. परीक्षण आयोजित किया गया हो। कावेरी द्वारा यह विवादित है और इसकी ओर से यह तर्क दिया जाता है कि डी. यू. एस. परीक्षण किसी भी समय आयोजित किया जा सकता है और आवेदन की स्वीकृति के लिए यह आवश्यक नहीं है।

54. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम की धारा 14 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद पहला चरण यह जांचना है कि क्या यह क्रम में है। यदि आवेदन पूरा हो गया है और क्रम में है, तो रजिस्ट्रार को आवेदक को डी. यू. एस. परीक्षा आयोजित आदेश के लिए शुल्क जमा आदेश के लिए सूचित करना आवश्यक है। 2003 के नियमों के नियम 29 के उप-नियम (3) के संदर्भ में, आवेदन पर डी. यू. एस. परीक्षण आयोजित करने के लिए मांगे गए शुल्क के जमा होने के बाद ही रजिस्ट्रार द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए विचार किया जा सकता है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि डी. यू. एस. परीक्षण के लिए शुल्क जमा नहीं किया जाता है।

55. अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में, रजिस्ट्रार को ऐसी जांच करने के बाद दायर आवेदन को प्रतिग्रहण करना आवश्यक है जो वह इस तरह के आवेदन में निहित विवरणों के संबंध में उचित समझता है। रजिस्ट्रार के

लिए आवेदनों को आत्यन्तिक रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन प्रतिग्रहण करना करने का अधिकार है जो उपयुक्त हों। इस स्तर पर, रजिस्ट्रार आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है यदि वह पाता है कि यह अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है।

56. अधिनियम की धारा 20 की भाषा व्यापक है। हालांकि, *यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है कि* रजिस्ट्रार *को आवेदन प्रतिग्रहण करना आदेश से पहले डी. यू. एस. परीक्षण के परिणाम की प्रतीक्षा आदेश की आवश्यकता है, हालांकि, इसके लिए* रजिस्ट्रार *को आवेदन में निहित विवरणों के संबंध में जांच आदेश की आवश्यकता होती है ताकि एक सूचित निर्णय लिया जा सके कि आवेदन को प्रतिग्रहण करना करना है या नहीं* यदि जाँच करने पर, रजिस्ट्रार का विचार है कि आवेदन अधिनियम, नियमों या उसके तहत बनाए गए विनियमों की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, तो वह या तो आवेदक से आवेदन में संशोधन करने के लिए कह सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है। रजिस्ट्रार *के लिए डी.यू.एस. परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है यदि वह अन्यथा संतुष्ट है कि आवेदन अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है। हालाँकि, <u>यदि वह अन्यथा आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं पाता है, तो उसके लिए डी. यू. एस. परीक्षण की प्रतीक्षा करना आवश्यक होगा क्योंकि उक्त परीक्षण इस बात की पुष्टि करेगा कि* किस्म *<u>डी.यू.एस. मानदंड के अनुरूप है या नहीं।</u> किसी भी के लिए डी.यू.एस. मानदंड के अनुरूप होना आवश्यक है। इसलिए,* रजिस्ट्रार *के लिए आवेदन प्रतिग्रहण करना करना संभव नहीं होगा यदि वह संतुष्ट नहीं है कि* किस्म *डी.यू.एस. मानदंडों के अनुरूप है।*

57. *यह तर्क कि* रजिस्ट्रार *डीयूएस परीक्षण की प्रतीक्षा में आवेदन परिणामों को प्रतिग्रहण कर सकता है, गलत है*। अधिनियम की योजना स्पष्ट है। एक बार जब रजिस्ट्रार एक आवेदन स्वीकार कर लेता है, तो वह उस प्रकार को पंजीकृत करने के लिए बाध्य होता है जब तक कि अधिनियम की धारा 21(3) के तहत कोई विरोध दायर नहीं किया जाता है और रजिस्ट्रार को इस तरह के विरोध में योग्यता नहीं मिलती है। यह

अधिनियम की धारा 24(1) के प्रावधानों से स्पष्ट है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि रजिस्ट्रार उस किस्म को पंजीकृत करेगा और उन मामलों में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा जहां किसी किस्म (अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के अलावा) के पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और या तो (क) आवेदन का विरोध नहीं किया गया है और विरोध की सूचना का समय समाप्त हो गया है; या (ख) आवेदन का विरोध किया गया है और विरोध खारिज कर दिया गया है।

58. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार को एक बार आवेदन स्वीकार करने के बाद उसे अस्वीकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं था और किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके विज्ञापन पर कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया है। *उपरोक्त से यह पता चलता है कि* रजिस्ट्रार *को पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि उम्मीदवार* किस्म *डी. यू. एस. मानदंडों के अनुरूप है।* इसके बाद, उसे उक्त आवेदन का विज्ञापन करने की आवश्यकता होती है और उसकी जांच विपक्ष तक ही सीमित है जो इस तरह के विज्ञापन के अनुसार दायर की जा सकती है।

59. यदि कावेरी की इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है कि आवेदन स्वीकार करने से पहले रजिस्ट्रार के लिए डी. यू. एस. परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है, तो यह ऐसे मामले में अस्वीकार्य स्थिति पैदा कर देगा जहां कोई विरोध दर्ज नहीं किया जाता है और डी. यू. एस. परीक्षण नकारात्मक होता है। ऐसे मामलों में, अधिनियम की धारा 24(1)(क) के आधार पर, रजिस्ट्रार को किस्म को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी, भले ही यह डी. यू. एस. परीक्षण में विफल होने के कारण पंजीकृत नहीं है। अध्याय III की योजना *किस्मों के पंजीकरण के संबंध में अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत आवेदन की स्वीकृति के लिए डी. यू. एस. परीक्षण में अर्हता प्राप्त करना एक आवश्यक मानदंड है।*

60. जांच किए जाने वाला अगला सवाल यह है कि क्या पायनियर के विरोध को केवल इस आधार पर खारिज करने की आवश्यकता थी कि कावेरी की किस्म के. एम. एच.-50 ने *डी.यू.एस. परीक्षण में योग्यता प्राप्त की थी। इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, डी. यू. एस. परीक्षण पूरा होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है।* इसके बाद आवेदन का विज्ञापन देना आवश्यक है। इस तरह का विज्ञापन 2003 के नियमों के नियम 30 के तहत निर्धारित तरीके से किया जाना है। उक्त नियम नीचे दिया गया हैः

"30. खंड 21 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन का विज्ञापन।-

(1) एक किस्म के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन जिसे स्वीकार कर लिया गया है और विनिर्देशों सहित उसके विवरण, धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत ऐसी स्वीकृति पर, तीसरी अनुसूची के प्रपत्र 1 में निर्दिष्ट तरीके से रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञापित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के तहत ऐसे प्रत्येक विज्ञापन में, रजिस्ट्रार उस स्थान या स्थानों का उल्लेख करेगा जहां किस्म के नमूने का निरीक्षण किया जा सकता है।

(3) ऐसे विज्ञापन की सामग्री में शामिल होंगे -

(क) नाम, पासपोर्ट डेटा और पैतृक प्रजाति या प्रारंभिक किस्म का स्रोत जिसका उपयोग उस किस्म को विकसित करने के लिए किया जाता है जिसके संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है;

(ख) डी. यू. एस. परीक्षण अनुसूची के तहत निर्दिष्ट रूप से अपने चरित्र प्रोफ़ाइल को सामने लाने वाली किस्म का विवरण;

(ग) किस्म को विशिष्टता प्रदान करने वाली आवश्यक विशेषताएं;

(घ) किस्म की महत्वपूर्ण कृषि संबंधी और वाणिज्यिक विशेषताएँ;

(ई) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकार की तस्वीरें या चित्र, यदि कोई हों; और

(च) किस्म पर, यदि कोई हो, दावा करें।"

61. तस्वीरों और चित्रों सहित किस्म के विवरण का विज्ञापन किया जाना आवश्यक है ताकि मामले में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सार्थक तरीके से पंजीकरण पर आपत्ति आदेश में सक्षम बनाया जा सके। जैसा कि 2003 के नियमों के नियम 30 (3)(ख) से स्पष्ट है, विज्ञापन को डी. यू. एस. परीक्षण अनुसूची के तहत निर्दिष्ट अपने चरित्र प्रोफ़ाइल को सामने लाने के लिए किस्म का वर्णन करना भी आवश्यक है।

62. पंजीकरण का विरोध केवल सीमित आधार पर किया जा सकता है जैसा कि अधिनियम की धारा 21(3) में निर्दिष्ट किया गया है। एक व्यक्ति इस आधार पर पंजीकरण पर आपत्ति कर सकता है कि (क) वह आवेदक के खिलाफ प्रजनकों के अधिकार का हकदार है; (ख) इस अधिनियम के तहत किस्म पंजीकृत नहीं है; और/या (ग) पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनुमति सार्वजनिक हित में नहीं हो सकती है; और/या (घ) कि किस्म का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, एक आक्षेपकर्ता यह प्रतिग्रहण कर सकता है कि उम्मीदवार किस्म डी. यू. एस. मानदंडों के अनुरूप है और फिर भी इसके पंजीकरण पर इस आधार पर आपत्ति कर सकता है कि उसके पास आवेदक के खिलाफ प्रजनक अधिकार है और/या पंजीकरण का अनुमति सार्वजनिक हित में नहीं होगी और/या इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

*****

84. इस न्यायालय का यह भी विचार है कि उक्त निर्णय कई कारणों से गलत है। सबसे पहले, रजिस्ट्रार को इस आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था कि डी.यू.एस. परीक्षण अंतिम था और पायनियर के लिए बाध्यकारी था।

जैसा कि पहले देखा गया है, रजिस्ट्रार/प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया इस अधिनियम की योजना के विपरीत थी। *रजिस्ट्रार उक्त किस्म के केएमएच-50 के पंजीकरण के लिए कावेरी के आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता था। आवेदन स्वीकार करने और आपत्तियां आमंत्रित करने का प्रश्न केएमएच-50 द्वारा डीयूएस टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद ही उठेगा।* जैसा कि पहले कहा गया है, डी.यू.एस. परीक्षण रिपोर्ट अंतिम नहीं है और प्रतिद्वंद्वी के लिए बाध्यकारी है और पायनियर के लिए अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के संदर्भ में उक्त किस्म की पुनर्स्थापना के संबंध में कोई भी आपत्ति उठाने के लिए खुला था। जाहिर है, इसमें डी. यू. एस. परीक्षण पर आपत्तियां शामिल होंगी। कावेरी को यह तर्क देने का अधिकार होगा कि डी. यू. एस. परीक्षण यह स्थापित करने के लिए निर्णायक नहीं था कि के. एम. एच. 50 30फ92 से अलग नहीं था। हालाँकि, चूंकि आवेदन का विज्ञापन डी. यू. एस. परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने से पहले किया गया था, इसलिए ऐसी आपत्तियों को विपक्ष में शामिल नहीं किया जा सका।

85. रजिस्ट्रार *का यह विचार कि डी. यू. एस. परीक्षण के संबंध में आपत्तियां डी. यू. एस. परीक्षण के दौरान किस्म के निरीक्षण पर एक अभ्यावेदन देकर की जानी चाहिए, गलत है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आपत्तियां उठाने का सवाल आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद ही उत्पन्न होता है, जो कि डी. यू. एस. मानदंडों के अनुरूप पाए जाने के बाद है।* 2003 नियमों के *नियम* 30(2) के संदर्भ में के नियमों के अनुसार, इस तरह के विज्ञापन में उस स्थान की जानकारी भी शामिल होगी जहां उम्मीदवार की विविधता का निरीक्षण किया जा सकता है। यह उस स्तर पर है जब एक प्रतिद्वंद्वी के पास किस्म का निरीक्षण करने का अवसर होता है और यदि आवश्यक हो, तो विरोध दर्ज करके डी. यू. एस. परीक्षण रिपोर्ट में त्रुटियों को इंगित करें।"

(जोर दिया गया)

14. वास्तव में, उपरोक्त परिच्छेदों में कानूनी स्थिति का उच्चारण इतना स्पष्ट है कि व्याख्या करने का कोई भी प्रयास अन्याय करेगा।

15. कानून में स्थिति, जैसा कि ***पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन*** से पूर्वोक्त अंशों में बताया गया है, साफ और स्पष्ट है। न्यायमूर्ति बाखरू ने बिना किसी संदेह के कहा है कि एक नई पौधे की किस्म के पंजीकरण के लिए पी. पी. वी. अधिनियम की धारा 19 के तहत आवेदन के विज्ञापन से पहले डी. यू. एस. परीक्षण का अभ्यास अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

16. श्री पार्थसारथी ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि ***पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन*** में जे के बखरू तर्क, में एक त्रुटि इस प्रकार थी, (निर्णय के पैरा 59 में):

> *"यदि कावेरी की इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है कि आवेदन स्वीकार करने से पहले रजिस्ट्रार के लिए डी. यू. एस. परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है, तो यह ऐसे मामले में अस्वीकार्य स्थिति पैदा कर देगा जहां कोई विरोध दर्ज नहीं किया जाता है और डी. यू. एस. परीक्षण नकारात्मक होता है। ऐसे मामलों में, अधिनियम की धारा 24 (1)(क) के आधार पर,* रजिस्ट्रार *को किस्म को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी, भले ही यह डी. यू. एस. परीक्षण में विफल होने के कारण पंजीकृत नहीं है।"*

श्री पार्थसारथी प्रस्तुत करते हैं कि यह अवलोकन धारणा की त्रुटि से ग्रस्त है, जैसे कि यदि डी. यू. एस. परीक्षण नकारात्मक है, तो पौधे की किस्म के पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, या आवेदन का विरोध करने वाले प्रतिद्वंद्वी के परिणामस्वरूप कोई पूर्वाग्रह नहीं है। प्रस्तुतिकरण, मुझे सही नहीं लगता है। पी. पी. वी. अधिनियम की धारा 24(1)(क) प्रत्येक पौधे की किस्म को पंजीकृत करने की अपेक्षा करती है जिसका विज्ञापन किया

गया है, और जिसका या तो समय के भीतर विरोध नहीं किया गया है, या जिसके संबंध में दायर विरोध को खारिज कर दिया गया है। न्या. बाखरू इसलिए, उनके विचार में स्पष्ट रूप से सही है कि यदि आवेदन के विज्ञापन से पहले अनिवार्य रूप से डी. यू. एस. परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी, तो डी. यू. एस. परीक्षण परिणामों के आधार पर पंजीकरण पर किसी भी आपत्ति का कोई सवाल नहीं हो सकता है, और इसलिए, परीक्षण परिणामों की परवाह किए बिना, पौधे की किस्म को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना होगा। डी. यू. एस. परीक्षण के परिणाम, प्रतिकूल होने पर भी, पंजीकरण को बाधित नहीं करेंगे। श्री पार्थसारथी, इसलिए, अपनी इस दलील में सही नहीं प्रतीत होते हैं कि यदि आवेदन के विज्ञापन के बाद किए गए डी. यू. एस. परीक्षण का परिणाम नकारात्मक पाया जाता है, तो अस्वीकृति के लिए आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। धारा 24(1)(क) इसकी अनुमति नहीं देती है।

17. वास्तव में, धारा 24(1)(क) अपने आप में इस विधायी इरादे का एक स्पष्ट संकेतक है कि डी. यू. एस. परीक्षण आवेदन के विज्ञापन से पहले होना चाहिए। विज्ञापन के बाद पौधे की किस्म को पंजीकृत करने का जनादेश, जहां पंजीकरण के लिए कोई स्थायी विरोध नहीं उठाया गया है, स्पष्ट रूप से यह मानता है कि पौधे की किस्म ने विज्ञापन से पहले ही सफलतापूर्वक डी. यू. एस. परीक्षण का सामना किया है। यह मानने के लिए कि डी. यू. एस. परीक्षण को पौधे की किस्म के विज्ञापन से पहले करने की आवश्यकता नहीं है और

विज्ञापन के बाद भी, डी.यू.एस. परीक्षण किया जा सकता है और यदि परीक्षण परिणाम प्रतिकूल है तो पंजीकरण से इनकार कर दिया जा सकता है, इसलिए, पूरी तरह से वैधानिक योजना को फिर से लिखा जाएगा।

18. इसके अलावा, सार्वजनिक हित जो व्यक्त किए गए विचार को सूचित करता है ***पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन*** में भी प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है।

19. पीपीवी अधिनियम का शीर्षक ही "पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार अधिनियम का संरक्षण" है।

20. इसलिए, किसानों के अधिकार एक प्रमुख विचार है जो पी. पी. वी. अधिनियम के प्रावधानों को प्रशासित करते समय अदालत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करता है। पी. पी. वी. अधिनियम की प्रस्तावना भी इस संबंध में ज्ञानवर्धक है, और इसे पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

> "पादपों की किस्मों, किसानों और पादप प्रजननक के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक अधिनियम।
>
> *जहाँ पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और उपलब्ध कराने में किसी भी समय किए गए उनके योगदान के संबंध में किसानों के अधिकारों को पहचानना और उनकी रक्षा करना आवश्यक माना जाता है;*

और जहाँ देश में कृषि विकास में तेजी लाने के लिए, पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।

और क्योंकि जहाँ इस तरह के संरक्षण से देश में बीज उद्योग के विकास में मदद मिलेगी, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

और जहाँ, उपरोक्त उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए, किसानों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपाय करना आवश्यक है;

और भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते की पुष्टि करने के बाद, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, पौधों की किस्मों के संरक्षण से संबंधित उक्त समझौते के भाग II में अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) को प्रभावी बनाने का प्रावधान करना चाहिए।"

21. इसलिए, पीपीवी अधिनियम का उद्देश्य रि.या.(सि.)में किसानों के अधिकारों और त्वरित कृषि विकास के बीच संतुलन बनाना है। ऐसा देश जिसे पादप प्रजननक के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता है। इन अधिकारों को सुसंगत और संतुलित करते हुए यह आवश्यक है कि किसानों को किसी भी एकाधिकार का विरोध करने का पूरा अवसर दिया जाए जो पीपीवी अधिनियम के तहत पौधों की किस्मों को नई पौधों की किस्मों के रूप में पंजीकृत करके बनाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, जो व्यक्ति पी. पी. वी. अधिनियम के तहत नई पौधों की किस्मों के पंजीकरण की मांग करने वाले आवेदन का विरोध करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के सभी विवरणों और कथित रूप से नई

विकसित पौधों की किस्मों के विवरण से अवगत कराना होगा, जिनके संबंध में पंजीकरण की मांग की गई है। यह स्पष्ट रूप से इसी कारण से है कि पी. पी. वी. अधिनियम की धारा 18 में विवरणों की एक विस्तृत और व्यापक सूची है जिसे प्रत्येक आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। पी. पी. वी. अधिनियम की धारा 18 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी की प्रकृति की जांच करते समय, न्यायालय को अधिनियम के प्रारंभिक प्रावधानों और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

22. ***पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन*** में पी. पी. वी. अधिनियम के प्रचलित दर्शन के अनुरूप व्यक्त विचार है इसलिए, मेरी सम्मानजनक राय में, पूरी तरह से स्वीकृति की सराहना करता हूं।

23. इसलिए, मैं ***पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन*** पीठ में सम्मानपूर्वक उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हूँ।

24. अनुक्रम का निरंतर पालन करना पड़ता है। इन सभी मामलों में, निजी प्रत्यर्थीगण के आवेदन पूर्व डी. यू. एस. परीक्षण के बिना विज्ञापन के लिए आगे बढ़े ऐसा होने पर, विज्ञापन रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी हैं। ।

25. मामले के उस दृष्टिकोण में, मेरे लिए इन रिट याचिकाओं में निहित किसी भी अन्य प्रार्थना में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है। न ही मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं निजी प्रत्यर्थीगण के आवेदनों के खिलाफ विपक्ष को दायर करने में देरी के पहलू पर विचार करूं। ***पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन*** में उजागर किए गए विचारों में से यह है कि विरोध दर्ज करने का अवसर केवल तभी उत्पन्न होगा जब आवेदन का विज्ञापन, पहली बार में, डी. यू. एस. परीक्षण से पहले हो।

26. तदनुसार, एम. आर. सी. 7326 बी. जी. II, एम. आर. सी. 6301 बी. टी., एम. आर. सी. 6025 बी. टी. और एम. ई. सी. एच. 12 बी. टी., जो पहले से ही पंजीकृत हैं, को छोड़कर इन सभी रिट याचिकाओं की विषय वस्तु बनाने वाले आवेदनों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञापनों को अभिखंडित कर दिया जाता है और अपास्त कर दिया जाता है।

27. संबंधित निजी प्रत्यर्थीगण (महिको और सुंगरो) द्वारा पंजीकरण के लिए दायर किए गए संबंधित आवेदन, जो उपरोक्त रिट याचिकाओं का विषय हैं, प्राधिकरण को नए सिरे से विचार के लिए भेजे जाते हैं, जो पहली बार में, डी. यू. एस. परीक्षण करेगा और उसके बाद न्या. बाखरू ***पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन*** में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करेगा।

28. जहां पहले से ही डी. यू. एस. परीक्षण किया जा चुका है, वहां कोई नया डी.यू.एस. परीक्षण नहीं करना होगा। हालाँकि, डी.यू.एस. परीक्षण के परिणाम

इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को प्रदान किए जाएंगे ताकि वे इसके संबंध में अपना विरोध या टिप्पणी दर्ज करा सकते हैं।

29. श्री पार्थसारथी प्रस्तुत करते हैं कि, इन रिट याचिकाओं में विचाराधीनता होने के कारण, माहिको और सुंगरो द्वारा दायर पंजीकरण के लिए आवेदनों के अभियोजन में काफी समय बर्बाद हो गया है।

30. आवेदन के गुणागुण के साथ-साथ इन याचिकाओं के विरोधी रजिस्ट्रार द्वारा समग्र रूप से चिंतित होंगे, जिन्हें इस मामले में जल्द से जल्द और कम से कम आज से 6 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

31. याचिकाकर्ताओं को कानून में उपलब्ध सभी दलीलों को उठाने की स्वतंत्रता होगी। याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ निजी प्रत्यर्थीगण को भी मामले में कोई भी विचार लेने से पहले प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

32. <u>एक आवश्यक आप्रथकन टिप्पणी:</u>

32.1 समापन से पहले, मैं अधिवक्ता द्वारा सराहनीय निष्पक्षता का एक उदाहरण दर्ज करना आवश्यक समझता हूं, जो इन कार्यवाही के दौरान विशेष रूप से बार में युवाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया था और जो अनुकरण के योग्य है, । सुनवाई के दौरान जो मुद्दे उठे उनमें से एक यह था कि क्या इन मामलों में याचिकाकर्ताओं द्वारा विरोध दर्ज करने में देरी को माफ किया जा

सकता है। पी.पी.वी. नियमों के नियम 32 में प्रावधान है कि पी. पी. वी. नियमों के तहत "विज्ञापन, विरोध, बचाव, सुनवाई और विनिर्देशन के संशोधन के लिए प्रदान की गई अनुसूची" को बढ़ाया नहीं जाएगा। ***महाराष्ट्र*** में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ, ***हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड बनाम यू. ओ. आई.*** ने अभिनिर्धारित किया कि नियम 32 में "होगा" शब्द को "मई" के रूप में पढ़ने की आवश्यकता थी और इसलिए, नियम 31 (1) के तहत विरोध दर्ज करने में देरी अक्षम्य थी। हालाँकि, श्री लोकुर ने समान रूप से निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि खण्ड पीठ के फैसले के संचालन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। उस समय मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि ***श्री चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और पश्चिमी बंगाल राज्य ***पीयूष कांति बनाम अध्यापक चौधरी*** मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के आलोक में खण्ड न्यायपीठ के निर्णय के प्रचालन पर रोक ने इसके पूर्ववर्ती मूल्य को नहीं मिटाया है। श्री पार्थसारथी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की जब उत्तर देने की बारी आई तो उन्होंने एक क्षण भी नहीं रुके और कहा कि मेरा विचार है कि ***महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड*** में निर्णय के प्रचालन पर रोक लगाने से इसका पूर्ववर्ती मूल्य पूरी तरह से सही नहीं होगा और वह ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड में फैसले के खिलाफ बहस करने की मांग करें, भले ही इसके संचालन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

32.2 मुद्दा यह नहीं है कि क्या, वास्तव में, मेरा विचार है कि ***महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड*** में निर्णय का मूल्य नहीं था उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय के प्रवर्तन पर रोक लगाने के कारण कमजोर स्थिति सही है या नहीं है। इस दृष्टिकोण से कि मैंने इन मामलों में लिया है, इस मुद्दे पर बोलने का अवसर उत्पन्न नहीं होता है। हालाँकि, जिस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए, वह है श्री पार्थसारथी की स्पष्टता और बिना किसी विवाद के इस बात को स्वीकार करने में स्पष्टता। यह अधिवक्ता की ओर से निष्पक्षता के उच्च मानक को दर्शाता है, और यह न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के इस संबंध में अपनी सराहना दर्ज करता है। तर्क में इस तरह की स्पष्टता और निष्पक्षता एक ऐसी चीज है जिसका बार में उत्कृष्टता की आकांक्षा रखने वाले सभी लोगों को अनुकरण करना चाहिए।

निष्कर्ष

33. इन सभी रिट याचिकाओं को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी गई है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

न्या., सी. हरी शंकर

30 नवंबर, 2023

एआर/डीएसएन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*